

**सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड**  
(पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)  
बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,  
नई दिल्ली-110 016

**सूचना**

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के तहत)

1. सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 में है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित है, ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत पारेषण लाइनों, उप-स्टेशनों और अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक आवेदन किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

| क्र.सं. | लाइन / सबस्टेशन का नाम<br>(स्थान)                                                                                                                                                                                                              | लाइन की<br>लंबाई */<br>क्षमता | वार्षिक<br>ट्रांसमिशन<br>शुल्क<br>(आईएनआर)<br>मिलियन<br>प्रति वर्ष | कमीशनिंग<br>शेड्यूल            | टिप्पणी |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1.      | सीकर-II-खेतड़ी 765 केवी डी/सी लाइन                                                                                                                                                                                                             | 93.29<br>किमी                 | 2147.30                                                            | असरदार<br>तारीख से<br>18 महीने |         |
| 2.      | सीकर-II - नरेला 765 केवी डी/सी लाइन के साथ-साथ सीकर-II - नरेला 765 केवी डी/सी लाइन के प्रत्येक छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर<br><br>765 केवी 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपकरण - 4 नग। | 256.59<br>कि.मी               |                                                                    |                                |         |



22/07/2024

|    |                                                                                                                            |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    | 240 एमवीएआर, 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर - 4 नग।                                                                        |  |  |  |
| 3. | सीकर-II पर 765kV लाइन, सीकर-II-खेतड़ी 765 kV डी/सी लाइन और सीकर-II-नरेला 765 kV डी/सी लाइन के लिए सीकर-II पर 765kV लाइन बे |  |  |  |
|    | 765 केवी लाइन बे - 4 नग                                                                                                    |  |  |  |
| 4. | 2 नग खेतड़ी और नरेला एस/एस दोनों पर 765 केवी लाइन बे                                                                       |  |  |  |
|    | 765 केवी लाइन बे - 4 नग                                                                                                    |  |  |  |

\*बोली प्रक्रिया समन्वयक द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार

\*\* प्रभावी तिथि: 09.02.2024

- आयोग के समक्ष दायर पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेब साइट <https://www.powergrid.in/subsidiaries> पर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के सी/ओ ईडी (टीबीसीबी), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर -29, गुड़गांव 122001 में, श्री संजय सिन्हा, परियोजना प्रभारी, सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड या आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आयोग का कार्यालय के साथ भी किया जा सकता है।
- आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, आवेदक या उसके अधिकृत एजेंट, पावरग्रिड की वेबसाइट पर नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, तीसरी मंजिल, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली -110 001 के समक्ष आपत्ति (ओं)/सुझाव (ओं) की एक प्रति के साथ दायर किया जाना चाहिए।।



संजय सिन्हा  
संजय सिन्हा,  
परियोजना प्रभारी,

सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 09/02/2024